

सोनपुर मंडल के विद्युत(टीआरओ) विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों का अंतर रेलवे/अंतर मंडलीय पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों मंडल की सहमति उपरांत सोनपुर मंडल के कर्मचारी का विरमण से संबंधित आदेश निम्न प्रकार जारी किया जाता है-

क्रम सं०	सोनपुर मंडल के कर्मचारी का नाम	पारस्परिक स्थानांतरण हेतु सोनपुर मंडल द्वारा जारी सहमति पत्र	अन्य रेलवे/मंडल के कर्मचारी का नाम	पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अन्य रेलवे/मंडल द्वारा जारी सहमति पत्र
01.	श्री तेजपाल मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय मीणा, सलोपा (वि.)/ बरीनी/लेवल-02	KA/283/Mech./IRID/ MT/Sr.ALP-ALP/SEE /20/Pt.-I,dt.-27.10.20	श्री मो० तौहिद पुत्र स्व० इस्तोयाक अहमद, प्रसलोपा/उ.रे./नई दिल्ली लेवल-04	941/E/483/Part- III/IRMT/2020/P-7, dt.-24.12.2020
02.	श्री प्रभात कुमार पुत्र श्री अर्जुन चौधरी, प्रसलोपा (वि.)/बरीनी लेवल-04	KA/283/Mech./IRID/ MT/Sr.ALP-ALP/SEE/ 20/Pt.-I,dt.-14.01.20	श्री हर्ष रंजन, पुत्र श्री चंद्रभूषण प्रसाद, सलोपा(वि.)/पू.म.रे./ डी०डी०यू०/लेवल-02	ईई/कचरटा(परि०)/अरे. -अम/पा स्थानां/Harsh Ranjan/डी.डी.यू./2020 दि०- 23 10 20
03.	श्री उमा शंकर पुत्र श्री राधा कृष्ण, सलोपा (वि.)/बरीनी लेवल-02	KA/283/Mech./IRID/ MT/Sr.ALP-ALP/SEE/ 20/Pt.-II, dt.-28.10.2020	श्री गौतम कुमार वर्मा, पुत्र श्री एस.पी.वर्मा, लोपा शटर(वि.+डी)/उ.रे./अंबाला छावनी/लेवल-04	940-E/ALP/IRMT/GKV- US/UMB/P-2 dt.-18.12.2020

कुल 03 कर्मचारी मात्र।

पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेय होगा।

- I. विरमण के समय कर्मचारी डीएआर/एस०पी०ई० मामलों से मुक्त होना चाहिये।
- II. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का गत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
- III. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
- IV. बरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।
- V. उक्त कर्मचारियों का पारस्परिक स्थानांतरण सलोपा लेवल-02 में निम्नतम बरीयता पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः सोनपुर मंडल के उपरोक्त कर्मचारियों को इस कार्यालय में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजे, जिससे संबंधित मंडल/रेलवे को विरमित किया जा सके।

उपरोक्त पर बमविडि(टीआरओ) महोदय का आदेश प्राप्त है।

(विजय इंजीनियर)  
सकाधि- III  
कृते मंत्र(का०)/सोनपुर

दिनांक:- 04.02.2021

सं०-KA/283/Mech./IR-ID/MT/Sr.ALP-ALP/SEE/20/Pt.-I

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. मंत्र(का०)/उत्तर रेलवे/नई दिल्ली/अंबाला कैंट. पूर्व मध्य रेल/डी.डी.यू।

02. बमविडि/टीआरओ/सोनपुर। 03. मु०कू०नि०/संयुक्त लॉगी/बरीनी- उक्त क्रमांक 01 एवं 03 तक वर्णित कर्मचारी को 03.07.2020 से अब तक तथा क्रमांक 02 में वर्णित कर्मचारी को दिनांक 02.12.2020 से अब तक का अवकाश विवरण के साथ विरमित करे।

04. संबंधित कर्मचारी। 05. अभिलेख प्रति।

06. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओवीसी, अजा-अजजा एशो/सोनपुर मंडल।

कृते मंत्र(का०)/सोनपुर